जटायु

संरक्षण प्रजनन केन्द्र

वन एवं वन्यजीव विभाग, हरियाणा

11 B

जटायु

संरक्षण प्रजनन केन्द्र

प्रकाशक : वन एवं वन्यजीव विभाग-हरियाणा
बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस)

वर्ष : दिसम्बर-2024

कॉपीराइट : हरियाणा वन एवं वन्यजीव विभाग और बीएनएचएस

मार्गदर्शन : श्री विनीत कुमार गर्ग, भा.व.से., प्रधान मुख्य वन संरक्षक-मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, हरियाणा
श्री किशोर रीठे, निदेशक, बीएनएचएस

संकलन : श्री प्रकाश मेहता, संरक्षण अधिकारी, बीएनएचएस
श्री जेफ फ्रांसिस, संरक्षण जीवविज्ञानी, बीएनएचएस

संपादन : श्री हेमंत बाजपेयी, केंद्र प्रबंधक, जेसीबीसी-पिंजौर (बीएनएचएस)

मुद्रण : श्री एरोज़, प्लॉट नं. 27, औद्योगिक क्षेत्र, फेज़-2, चण्डीगढ़

जटायुः नाम नाम्ना अहं गृध्र राजो महाबलः ।। ३-५०-७ ।।

हे रावण! सावधान! मैं गिद्धों का राजा जटायु हूं।

सोऽहं वाससहायस्ते भविष्यामि यदीच्छसि ।।
इदं दुर्गं हि कान्तारं मृगराक्षससेवितम्
सीतां च तात रक्षिष्ये त्वयि याते सलक्ष्मणे ।। ३-१४-३४ ।।

"मैं आपके निवास में आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ।
घना जंगल, जानवरों और राक्षसों का घर है।
यदि आप और लक्ष्मण अपने आश्रम से बाहर जाने का निर्णय लेते हैं,
तो मैं देवी सीता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहूँगा।"

- रामायण

नायब सिंह सैनी
माननीय मुख्यमंत्री,
हरियाणा

संदेश

हर्ष का विषय है कि पिंजौर में स्थित 'जटायु संरक्षण प्रजनन केन्द्र' से आगामी 17 दिसम्बर को 25 गिद्ध खुले आकाश में छोड़े जाएंगे। इस अवसर को चिरस्मरणीय बनाए रखने के लिए एक स्मारिका का प्रकाशन भी किया जा रहा है।

गिद्ध भारतीय समाज की सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय परम्पराओं का अभिन्न हिस्सा है। हमारे शास्त्रों में इन्हें प्रकृति के स्वच्छता दूत के रूप में सम्मानित किया गया है। रामायण में गिद्धराज जटायु और संपाति का उल्लेख उनकी वीरता, त्याग और धर्मनिष्ठा के प्रतीक के रूप में किया गया है। जटायु ने माता सीता जी की रक्षा के लिए रावण से संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। यह हमारे लिए प्रेरणा है कि गिद्ध न केवल पर्यावरणीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के भी संरक्षक हैं। इसलिए आज गिद्धों को लुप्त होने से बचाना जरूरी है।

मुझे खुशी है कि पिंजौर में स्थित 'जटायु संरक्षण प्रजनन केन्द्र' इस दिशा में सराहनीय काम कर रहा है। यह दुनिया का प्रथम गिद्ध प्रजनन केन्द्र है जहां मानव प्रयासों से पहली बार गिद्धों का प्रजनन संभव हुआ है। इन गिद्धों को वापिस उनके घर अर्थात प्रकृति में छोड़ा जाता है।

इस केन्द्र के माध्यम से हरियाणा सरकार गिद्धों की घटती संख्या को रोकने और इन्हें फिर से प्राकृतिक सफाई अभियान से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जटायु संरक्षण प्रजनन केन्द्र में गिद्धों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास सफल होंगे।

इस केन्द्र द्वारा प्रकाशित की जा रही स्मारिक गिद्ध प्रजनन कार्यक्रम की जानकारी तो देगी ही आम जनता को भी गिद्ध संरक्षण के प्रति जागरूक करेगी। मैं इस स्मारिका के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

(नायब सिंह सैनी)

राव नरबीर सिंह
उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण,
वन और वन्यजीव,
विदेशी सहकारिता, सैनिक तथा
अर्ध सैनिक कल्याण मंत्री,
हरियाणा

संदेश

गिद्ध हमारे पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा हैं और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रकृति के स्वच्छता दूत हैं, जो मृत पशुओं को खाकर बिमारियों के फैलाव को रोकते हैं। गिद्धों की उपस्थिति समाज को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में मदद करती है, जिससे आर्थिक और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित होती है।

गिद्धों की घटती संख्या न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है, बल्कि यह मानव समाज के लिए भी चुनौती है। पिंजौर, हरियाणा स्थित गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र और गिद्ध संरक्षण परियोजना इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हरियाणा सरकार गिद्धों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है और इनके माध्यम से एक स्वस्थ, स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है ।

आइए, हम सब मिलकर गिद्धों के संरक्षण में भागीदारी करें और अपने पर्यावरण, समाज और भविष्य को सुरक्षित रखने के इस प्रयास में योगदान दें।

(राव नरबीर सिंह)

आनंद मोहन शरण, भा.प्र.से.
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
हरियाणा सरकार
पर्यावरण, वन एवं
वन्य जीव विभाग, चण्डीगढ़

संदेश

पिंजौर स्थित जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र न केवल हरियाणा, बल्कि पूरे भारत के लिए गिद्ध संरक्षण का एक प्रेरणादायक और अग्रणी उदाहरण है। यह एशिया और भारत का पहला और सबसे बड़ा गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है, जिसने वैज्ञानिक तकनीकों और अथक प्रयासों के माध्यम से गिद्धों की प्रजातियों के पुनरुत्थान में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है।

यह केंद्र न केवल गिद्धों की संख्या में वृद्धि के लिए अग्रणी रहा है, बल्कि कैप्टिव ब्रीडिंग तकनीक को विकसित और लागू करने में भी मील का पत्थर साबित हुआ है। आज, इस केंद्र ने गिद्धों को पुनः जंगलों में बसाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अपनी उपलब्धियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।

जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का योगदान गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में भारत और विश्व के लिए एक मिसाल है। यह केंद्र न केवल जैव विविधता के संरक्षण में बल्कि गिद्धों के महत्व को जनमानस तक पहुंचाने में भी अग्रणी रहा है। मैं इस उत्कृष्ट प्रयास के लिए केंद्र की पूरी टीम को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह केंद्र गिद्ध संरक्षण में नई ऊंचाइयों को छुएगा।

(आनंद मोहन शरण)

भूमिका

विनीत कुमार गर्ग, भा.व.से.

गिद्धों की तीन गंभीर रूप से लुप्तप्राय जिप्स प्रजातियाँ – सफेद पीठ वाले गिद्ध (जिप्स बंगालेंसिस), लंबी चोंच वाले गिद्ध (जिप्स इंडिकस), और पतली चोंच वाले गिद्ध (जिप्स टेनुइरोस्ट्रिस) – जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र (जेसीबीसी), पिंजौर में संरक्षित हैं। जेसीबीसी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का समन्वय चिड़ियाघर है, जो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन के लिए समर्पित है। इस केंद्र की स्थापना 2004 में ''गिद्ध पुनर्प्राप्ति योजना'' की अनुशंसाओं के अनुसार की गई थी, ताकि इन प्रजातियों के संभावित विलुप्ति के विरुद्ध एक सुरक्षा विकल्प प्रस्तुत किया जा सके। दर्द निवारक दवा, डाइक्लोफेनाक के पशु चिकित्सा में उपयोग के कारण नब्बे के दशक के मध्य में इन तीनों प्रजातियों की आबादी में भारी गिरावट आई, क्योंकि यह दवा गिद्धों में गुर्दे की विफलता का कारण बनती है।

जेसीबीसी पहली बार तीनों प्रजातियों का इस केंद्र में प्रजनन करवाने में सफल रहा है और वर्तमान में इसमें 378 गिद्ध हैं, जो कि दुनिया में किसी भी सुविधा द्वारा रखी गई सबसे अधिक संख्या है। जेसीबीसी ने कृत्रिमअंडा ऊष्मायन, डबल क्लचिंग, और चूजों की अदला–बदली जैसी तकनीकों का उपयोग करके 400 से अधिक चूजे प्राप्त कर इन धीमी गति से प्रजनन करने वाली और लंबे समय तक जीवित रहने वाली प्रजातियों में उत्पादकता बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। सभी पक्षियों को स्थायी पहचान के लिए पैरों में रिंग और मांसपेशी में माइक्रोचिप डालकर चिह्नित किया गया है। इस केंद्र से 80 बंदी प्रजनित गिद्धों को वर्ष 2023–24 तक आनुवंशिक प्रबंधन के लिए अन्य केंद्रों में स्थानांतरित किया गया है। अब तक, इस केंद्र से आठ गिद्धों को जंगल में पुनर्वासित किया गया है और 20 गिद्धों को महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व से जंगल में पुनर्वासित किया गया है।

जेसीबीसी ने अन्य सभी केंद्रों में एक समान प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए केंद्र–निवासी गिद्धों के आवास, पालन, चिकित्सा देखभाल, और भोजन के लिए सर्वोत्तम प्रणाली की एक ''कार्य प्रबंधन पुस्तिका'' भी तैयार की है।

आशा है कि यह पुस्तिका जागरूकता के माध्यम से गिद्ध संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)
एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
हरियाणा

प्रस्तावना

किशोर रीठे

यह पुस्तिका पिंजौर में स्थित जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र (जेसीबीसी) पर विशेष प्रकाश डालती है, जो जिप्स वंश के स्थानीय गिद्धों के संरक्षण के लिए समर्पित है। हरियाणा वन एवं वन्यजीव विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) के सहयोग से स्थापित जेसीबीसी का उद्देश्य तीन गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों – सफेद पीठ वाले गिद्ध, लंबी चोंच वाले गिद्ध और पतली चोंच वाले गिद्ध को बचाना है।

सितंबर 2001 में यूनाइटेड किंगडम की सरकार के 'डार्विन इनिसिएटिव' से वित्तीय सहायता प्राप्त कर और हरियाणा वन विभाग द्वारा दी गई भूमि पर, जेसीबीसी की स्थापना गिद्ध देख–भाल केंद्र के रूप में की गई थी। जेसीबीसी के द्वारा शुरू में भारत के जिप्स वंश के गिद्धों की संख्या में आई हुई गिरावट की जांच की गयी । ''दक्षिण एशिया गिद्ध पुनर्प्राप्ति योजना'' के मार्गदर्शन में यह केंद्र पहले गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।

पिंजौर के बीर शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य के पास जोधपुर गांव में पांच एकड़ भूमि पर स्थित जेसीबीसी में 378 गिद्ध हैं जिनमें 97 सफेद पीठ वाले, 219 लंबी चोंच वाले और 62 पतली चोंच वाले गिद्ध शामिल हैं। यह संग्रह वैश्विक स्तर पर इन प्रजातियों का सबसे बड़ा निवासी संग्रह है।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन से, जेसीबीसी एशिया में गिद्ध संरक्षण का नेतृत्व कर रहा है। भारत के समन्वय चिड़ियाघर के रूप में, इसने तीनों गंभीर रूप से लुप्तप्राय जिप्स प्रजातियों का सफलतापूर्वक प्रजनन किया है और डबल क्लचिंग तथा कृत्रिम अंडा ऊष्मायन का बीड़ा उठाया है। जेसीबीसी भारत में पहला केंद्र हैं जिसने बंदी (केंद्र में पाले गए) प्रजनित पक्षियों को जंगल में फिर से स्थापित किया है, जहां छोड़े गए पक्षी वन्य आबादी के साथ सफलतापूर्वक प्रजनन करते हैं।

जेसीबीसी उन क्षेत्रों में गिद्धों को छोड़ने को प्राथमिकता देता है जहां वे स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुके हैं, और देश भर में उन्हें फिर से स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। यह भारत भर में नए प्रजनन केंद्रों के लिए संस्थापक आबादी स्थापित करने के उद्देश्य से पक्षियों का प्रजनन कर रहा है।

बीएनएचएस और हरियाणा वन विभाग ने भारत में जटायु के अस्तित्व को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया है। भारत के गिद्धों के भविष्य को सुरक्षित करने के इस महत्वपूर्ण उद्देश्य का समर्थन करने के लिए धन्यवाद।

निदेशक बीएनएचएस

vuØef.kdk

संख्या क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	गिद्धों का परिचय	1
2	भारत के गिद्ध	2-3
3	संस्कृति में गिद्ध	4-5
4	भारत में गिद्धों का इतिहास और वर्तमान स्थिति	6
5	गिद्धों की संख्या में गिरावट के कारण	7
6	सामाजिक-पर्यावरणीय परिणाम	8
7	संरक्षण कार्रवाइयाँ	9
8	जटायू संरक्षण प्रजनन केंद्र	10
9	गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	11-20
10	जेसीबीसी पिंजौर से विभिन्न केंद्रों में गिद्धों का स्थानांतरण	21
11	गिद्ध पुनर्वसन कार्यक्रम, पिंजौर	22
12	गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र स्थापित करने की प्रक्रिया	23
13	गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र, पिंजौर	24
14	पिंजौर गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र में की गई गतिविधियाँ	25-28
15	जेसीबीसी, पिंजौर की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ (Milestones)	29
16	अनुलग्नक 1: गिद्धों के लिए विषाक्तता हेतु NSAIDs के सुरक्षा परीक्षणों के परिणाम	30
17	अनुलग्नक 2: आदेश: भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा डाइक्लोफेनाक के पशु चिकित्सा फॉर्मूलेशन को चिकित्सा उपयोग से वापस लिया गया	31
18	अनुलग्नक 3: आदेश: भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा डाइक्लोफेनाक के पशु चिकित्सा फॉर्मूलेशन के विनिर्माण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया	32
19	अनुलग्नक 4: भारत सरकार का राजपत्र: पशुओं के उपचार में डाइक्लोफेनाक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया	33
20	अनुलग्नक 5: भारत सरकार का राजपत्र: पशु चिकित्सा में डाइक्लोफेनाक के मानव फॉर्मूलेशन के दुरुपयोग को रोकने के लिए, पैकेजिंग को 3 मिलीलीटर तक सीमित कर दिया गया	34-35
21	अनुलग्नक 6: भारत सरकार का राजपत्र: पशुओं के उपचार में एसीक्लोफेनाक और कीटोप्रोफेन के उपयोग पर प्रतिबंध	36-37
22	अनुलग्नक 7: शोध पत्र: प्रायोगिक सुरक्षा परीक्षण से पुष्टि हुई है कि NSAID निमेसुलाइड भारत में जिप्स गिद्धों के लिए विषैला है	38-44
23	अनुलग्नक 8: भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त जिप्स गिद्धों की जनसंख्या की नवीनतम स्थिति पर शोध पत्र	45-50

Abbreviations:

IUCN-International Union for Conservation of Nature, **CZA**-Central Zoo Authority, **VCC**-Vulture care centre, **VCBC**-Vulture conservation breeding centre, **JCBC**-Jatayu conservation breeding centre, **VSZ**-Vulture safe zone, **NSAID**-Nonsteroidal anti-inflammatory drugs, **WRV**-White rumped vulture, **LBV**-Long billed vulture, **SBV**-Slender billed vulture, **GSM**-Global System for Mobile Communications, **PTT**-Platform Transmitter Terminal, **In situ**-the conservation of species in their natural habitats, **Ex situ**-the process of conservation of endangered species outside of their natural habitats.

fx)k dk ifjp;

गिद्ध एक आकर्षक पक्षी है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है और नकारात्मक रूप से देखा जाता है, लेकिन वास्तविकता इससे बिलकुल उलट है | ये पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं| दुनिया भर में गिद्धों की 23 प्रजातियाँ पाई जाती हैं| ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर देखे जा सकते हैं और उपनगरीय क्षेत्रों सहित विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं| उनकी अत्यधिक अनुकूलन क्षमता के बावजूद, 16 प्रजातियों को वर्तमान में संकटग्रस्त माना जाने लगा है, जो संरक्षण प्रयासों के महत्व को उजागर करता है|

पारिस्थितिक भूमिका: गिद्ध सबसे कुशल प्राकृतिक सफाईकर्मी होते हैं, जो मुख्य रूप से मृत जानवरों को खाते हैं और इस प्रकार बीमारियों के प्रसार को रोककर पर्यावरण को साफ रखते हैं| उनके पेट का अत्यंत तीव्र एसिड सड़ते हुए शवों में पाए जाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया और विषाणुओं को नष्ट कर देता है, जिससे वे रोग नियंत्रण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं| उनकी इस अद्वितीय क्षमता के कारण, वे हमारे पारिस्थितिक तंत्र के अनमोल रक्षक माने जाते हैं|

अनुकूलन: गिद्ध अपनी मृतभक्षी जीवनशैली के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं| उनकी मजबूत चोंच और सिर पर पंखो की कमी उन्हें शवों को खाते समय साफ-सुथरा रहने में मदद करती है| उनकी तीव्र दृष्टि और गंध के प्रति संवेदनशीलता मीलों दूर से भोजन का पता लगाने में सक्षम बनाती है| इसके अतिरिक्त, उनके निम्न गैस्ट्रिक पीएच के कारण उनकी शक्तिशाली पाचन क्षमता उन्हें सड़ा हुआ मांस खाने के सक्षम बनाती है, जो अन्य जानवरों के लिए अनुपयुक्त हो सकता है| इस अनुकूलन ने उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार किया है|

सामाजिक व्यवहार: कई अकेले रहने वाले शिकारी पक्षियों के विपरीत, गिद्ध एक सामाजिक पक्षी हैं जिन्हें अक्सर बड़े झुंडों में भोजन करते, उड़ते या बसेरा करते हुए देखा जा सकता है| उनके समूह में रहने की आदत उन्हें न केवल सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि भोजन का पता लगाने में भी मदद करती है| जब एक गिद्ध किसी शव को देखता है, तो उसकी गतिविधियों से अन्य गिद्धों को संकेत मिलता है और वे सभी मिलकर भोजन का उपभोग करते हैं|

Hkkjr d fx)

गिद्धों की 23 प्रजातियों में से भारत में नौ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ स्थानीय हैं और कुछ प्रवासी। हर प्रजाति हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए, इन प्रजातियों पर एक विस्तृत नजर डालते हैं।

स्थानीय प्रजातियाँ:

1. **लंबी चोंच वाला गिद्ध *(Gyps indicus)* -** यह गिद्ध भारत के मैदानी और जंगली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी लंबी और शक्तिशाली चोंच इसे मृत पशुओं के अवशेषों को सफाई से खाने में मदद करती है।
2. **सफेद पीठ वाला गिद्ध *(Gyps bengalensis)* -** यह प्रजाति अपने नाम के अनुसार सफेद पीठ और बड़े पंखों के साथ आसानी से पहचानी जाती है। यह मुख्य रूप से मृत पशुओं पर निर्भर करता है और उन्हें सफाई से समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
3. **पतली चोंच वाला गिद्ध *(Gyps tenuirostris)* -** इसकी पतली चोंच इसे हड्डियों के अंदर तक पहुँचने में सहायक होती है, जिससे यह अन्य गिद्धों के लिए भी अवशेष छोड़ देता है।
4. **लाल सिर वाला गिद्ध *(Sarcogyps calvus)* -** यह गिद्ध अपने चमकदार लाल सिर के कारण पहचान में आता है। यह वन्य और ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है और बड़े पशुओं के शवों को साफ करने में मदद करता है।
5. **दाढ़ी वाला गिद्ध *(Gypaetus barbatus)* -** यह प्रजाति हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में पाई जाती है। इसे दाढ़ी वाला गिद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ठुड्डी पर बाल जैसे पंख होते हैं।
6. **इजिप्शियन गिद्ध *(Neophron percnopterus)* -** इस गिद्ध की दुनिया भर में तीन उप-प्रजातियाँ हैं, एक स्थानीय एक प्रवासी और एक भारत में नहीं पाई जाती। । इसे सफाईकर्मी पक्षी भी कहा जाता है क्योंकि यह कचरे और अवशेषों को साफ करता है।

प्रवासी प्रजातियाँ:

1. **हिमालयन गिद्ध *(Gyps himalayensis)* -** यह प्रजाति सर्दियों के दौरान हिमालय के उत्तरी क्षेत्रों और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रवास करती है। यह ठंडे क्षेत्रों में उड़ता है और वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनता है।
2. **युरेशियन ग्रिफ़ॉन गिद्ध *(Gyps fulvus)* -** यह प्रजाति भी सर्दियों में भारत आती है और खुले मैदानों और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है।
3. **सिनेरियस गिद्ध *(Aegypius monachus)* -** यह उत्तरी भारत में शीतकालीन प्रवासी पक्षी है और अपने बड़े आकार और गहरे रंग के पंखों के कारण पहचान में आता है।

उल्लेखनीय रूप से, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र तीन निवासी जिप्स प्रजातियों के संरक्षण और प्रजनन के लिए विशेष रूप से समर्पित है।

भारत में निवासी जिप्स गिद्धों का वितरण

लंबी चोंच वाला गिद्ध

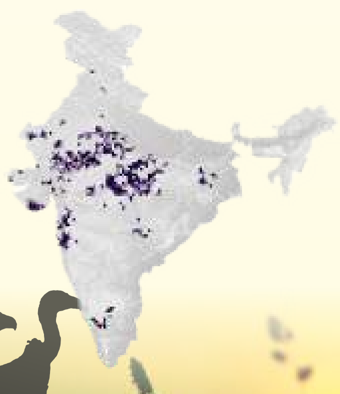

सफेद पीठ वाला गिद्ध

पतली चोंच वाला गिद्ध

इजिप्शियन गिद्ध
Egyptian Vulture
(Neophron percnopterus)

हिमालयन गिद्ध
Himalayan Griffon
(Gyps himalayensis)

सफेद पीठ वाला गिद्ध
White-Rumped Vulture
(Gyps bengalensis)

सिनेरियस गिद्ध
Cinereous Vulture
(Aegypius monachus)

लंबी चोंच वाला गिद्ध
Long-Billed Vulture
(Gyps indicus)

पतली चोंच वाला गिद्ध
Slender-Billed Vulture
(Gyps tenuirostris)

लाल सिर वाला गिद्ध
Red-Headed Vulture
(Sarcogyps calvus)

युरेशियन ग्रिफ़ॉन गिद्ध
Eurasian Griffon
(Gyps fulvus)

दाढ़ी वाला गिद्ध
Bearded Vulture
(Gypaetus barbatus)

lLdfr e fx)

1. भारतीय संस्कृति में गिद्ध:

(क) रामायण: भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार, महर्षि कश्यप और विनीता के पुत्र अरुण सूर्य देव के सारथि थे। उनके दो पुत्र, सम्पाती और जटायु थे, जिनमें सम्पाती को पक्षीराज या गिद्धों का राजा कहा जाता था। एक बार, दोनों भाइयों ने सूर्य के आभामंडल को छूने की चुनौती स्वीकार की, लेकिन सूर्य की तीव्र गर्मी से वे व्याकुल हो गए। सम्पाती ने अपने पंखों से जटायु को ढक लिया, जिससे उसके पंख जल गए। जटायु की राजा दशरथ से मित्रता, देवासुर संग्राम में दशरथ की सहायता के कारण हुई थी।

जब रावण ने सीता का अपहरण किया, तो जटायु ने उनकी रक्षा के लिए रावण से वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन रावण ने जटायु के पंख काट दिए और उन्हें मरणासन्न अवस्था में छोड़ दिया। श्रीराम और लक्ष्मण जब सीता की खोज कर रहे थे, तब उन्हें कराहते हुए जटायु मिले, जिन्होंने सीता के अपहरण और दिशा की जानकारी दी और फिर अपने प्राण त्याग दिए। श्रीराम ने पुत्रवत् भाव से जटायु का अंतिम संस्कार किया।

इस दौरान, सम्पाती ने राम की सेना की सहायता की। जब समुद्र द्वारा बाधित होने पर सेना को मार्ग नहीं सूझ रहा था, तब सम्पाती ने हनुमान और जाम्बवंत को लंका की दिशा बताई। सम्पाती की असाधारण दृष्टि ने सीता का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामायण की ये कथाएँ जटायु और सम्पाती की बलिदान, वीरता के महत्व को रेखांकित करती हैं जो आपदा के समय में निष्ठा, साहस और निस्वार्थता की महत्ता को उजागर करती हैं।

(ख) शनिदेव के वाहन रूप में गिद्ध: भारतीय ज्योतिष में, गिद्ध को कौवे के साथ शनिदेव का वाहन माना जाता है। शनिदेव का संबंध शनि ग्रह से है और वे न्याय एवं दंड के सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। भारतीय सांस्कृतिक प्रतीकों में, गिद्ध सतर्कता और सुरक्षा का प्रतीक है।

2.अन्य संस्कृतियों में गिद्ध:

(क) ज़ोरोएस्ट्रियन (पारसी) धर्म: ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म में, गिद्ध पारसी समुदाय की आकाशीय दाह संस्कार विधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मृतकों के शवों को "टॉवर्स ऑफ साइलेंस" में रखा जाता है जहाँ गिद्ध उनके शरीर का सेवन करते हैं जिससे पृथ्वी, अग्नि और जल की शुद्धता बनी रहती है और प्रदूषण से बचाव होता है। यह प्रथा ज़ोरोएस्ट्रियन विश्वासों को दर्शाती है जो आध्यात्मिक शुद्धता को बनाए रखने पर जोर देती है।

(ख) मिस्र: प्राचीन मिस्र की संस्कृति में गिद्ध देवी-नेखबेट सुरक्षा और पोषण का प्रतीक मानी जाती थी। नेखबेट, जो एक गिद्ध के रूप में चित्रित की जाती है, उसको ऊपरी-उत्तरी मिस्र के संरक्षक और मातृत्व के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता था। गिद्धों की तीव्र दृष्टि और मृतभक्षण करने की क्षमता ने नेखबेट की भूमि और उसके निवासियों की सुरक्षा में उनकी भूमिका को सुदृढ़ किया।

Hkkjr e fx)k dk bfrgkl vkj orleku fLFkfr

गिद्धों का उल्लेख भारतीय इतिहास में प्राचीन काल से मिलता है, जो रामायण के युग तक जाता है। 1980 के दशक तक, सफेद पीठ वाले गिद्ध (White-rumped vulture) को दुनिया का सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला मृत भक्षी पक्षी माना जाता था और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गिद्धों की संख्या फल-फूल रही थी। 1980 के दशक के अंत तक भारत में लगभग 4 करोड़ गिद्धों की बड़ी आबादी थी।

हालांकि, 1990 के दशक की शुरुआत से ही गिद्धों की आबादी में भारी गिरावट देखी गई, खासकर सफेद पीठ वाले गिद्ध और अन्य प्रजातियों में। इस गिरावट का मुख्य कारण मवेशियों में डाइक्लोफेनाक और अन्य NSAIDs (Non Steroidal Anti Inflammatory Drugs) दवाओं का व्यापक उपयोग था। सफेद पीठ वाले गिद्ध की वार्षिक गिरावट दर 43.9% तक पहुंच गई, जबकि लंबे चोंच वाले और पतले चोंच वाले गिद्धों की संयुक्त आबादी की वार्षिक गिरावट दर 16.1% थी। यह गिरावट इतनी विनाशकारी रही है कि सफेद पीठ वाले गिद्धों की आबादी में 99.9% की कमी आई है, और लंबे चोंच वाले और पतले चोंच वाले गिद्धों की संयुक्त आबादी में 99% की कमी आ गई जिससे ये प्रजातियाँ विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई हैं।

दिल्ली शहर के तिमारपुर में गिद्ध (1980)

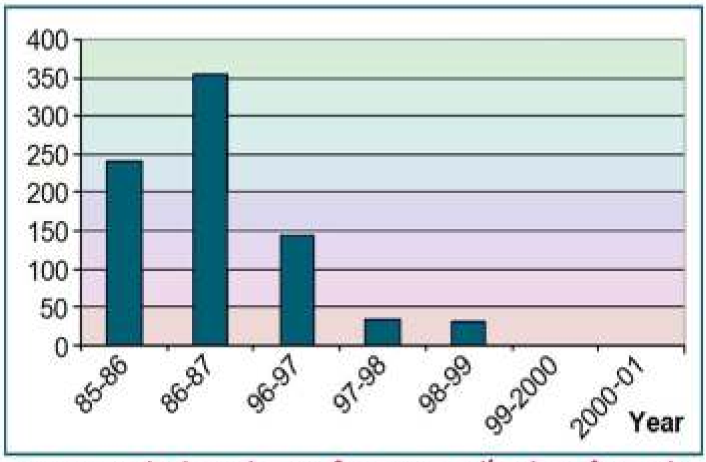

राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सफेद पीठ वाले गिद्धों की जनसंख्या

सत्यमेव जयते

अनुसूची-1
वन्यजीव संरक्षण
अधिनियम -1972

हाल के अध्ययनों के अनुसारजंगलमें लगभग 12,000 लंबे चोंच वाले गिद्ध, 6,000 सफेद पीठ वाले गिद्ध और 1,000 पतले चोंच वाले गिद्ध शेष हैं। ये तीनों गिद्ध प्रजातियाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN-International Union for Conservation of Nature) द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered) के रूप में वर्गीकृत की गई हैं और उन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम -1972 की अनुसूची-1 के तहत कानूनी सुरक्षा प्राप्त है।

यह पुस्तिका भारत में गिद्धों के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करती है और उनके सामने आने वाले गंभीर संरक्षण संकट को उजागर करती है। यह इन प्रतिष्ठित पक्षियों को विलुप्ति से बचाने के लिए संयुक्त संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

fx)k dh l[;k e fxjkoV d dkj.k

भारत में गिद्धों की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण 1990 के दशक से डाइक्लोफेनाक (Diclofenac), कीटोप्रोफेन (Ketoprofen), और एसीक्लोफेनाक (Aceclofenac) जैसी दवाओं का व्यापक उपयोग है। इन दवाओं का उपयोग मवेशियों में दर्द निवारण और सूजन कम करने के लिए किया जाता है। जब उपचारित मवेशी 72 घंटे के भीतर मर जाते हैं, तो डाइक्लोफेनाक के अंश उनके शवों में रह जाते है। यदि गिद्ध इन शवों का सेवन करते हैं, तो वे डाइक्लोफेनाक ग्रहण कर लेते हैं, जिससे उनकी किडनी फेल हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप गिद्धों में डिहाइड्रेशन और यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के जमाव से विसरल गाउट्स (Visceral Gouts) हो जाते हैं जो गिद्धों के लिए घातक होते हैं। शोध से पता चला है कि इन शवों का केवल एक छोटा प्रतिशत (लगभग 0.8%) भी जिसमें डाइक्लोफेनाक मौजूद हो गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट का कारण बन सकता है। ओक्स (Oaks) और ग्रीन (Green) द्वारा 2004 में किए गए अध्ययनों ने इन गिरावटों का दस्तावेजीकरण किया है जो भारत में गिद्धों के सामने आने वाले संरक्षण संकट के लिए डाइक्लोफेनाक विषाक्तता को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में दर्शाते हैं।

डाइक्लोफेनाक के फॉर्मूलेशन

गर्दन का लटकना और पंखों का उखड़ना गिद्धों में डाइक्लोफेनाक विषाक्तता का विशिष्ट लक्षण है

डाइक्लोफेनाक के संपर्क में आने वाले गिद्धों में मृत्यु के बाद "आंतरिक" गाउट विशेष रूप से पाया जाता है

lkekftd&i;k'oj.kh; ifj.kke

भारत में गिद्धों की आबादी में गिरावट के कारण महत्वपूर्ण सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न हुए हैं:

1. **पर्यावरणीय असंतुलन:** गिद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे मृत शरीरों को कुशलतापूर्वक साफ करके मिट्टी को दूषित होने से बचाते हैं और पोषक तत्वों के चक्रण में सहायता करते हैं। उनकी कमी इन प्रक्रियाओं को बाधित करती है जिससे पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होता है।

2. **बीमारी फैलने का खतरा:** गिद्धों की संख्या में कमी के कारण मृत जानवरो के शरीरों की संख्या में वृद्धि हुई है जिससे एंथ्रेक्स और बोटुलिज़्म जैसी बीमारियों के प्रकोप का खतरा बढ़ गया है जो मानव और पशुधन दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

3. **आवारा कुत्तों की संख्या में वृद्धि:** गिद्धों की कमी के कारण मृत जानवरो के शरीरों पर निर्भर आवारा कुत्तों की आबादी बढ़ गई है जिससे रेबीज के मामलों में वृद्धि हो रही है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

4. **आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव:** हड्डियों की सफाई के लिए गिद्धों पर निर्भर समुदाय जैसे कि शिल्पकार और पारंपरिक हड्डी संग्रहकर्ता, गिद्धों द्वारा साफ की गई हड्डियों की कम उपलब्धता के कारण आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

5. **पारसी समुदाय पर भावनात्मक प्रभाव:** गिद्धों की संख्या में गिरावट के कारण पारसी समुदाय की पारंपरिक आकाशीय समाधि (Sky Burial) प्रथाओं में बाधा उत्पन्न हो रही है जिससे धार्मिक विश्वासों के अनुसार मानव अवशेषों के निपटान को लेकर भावनात्मक तनाव और नैतिक दुविधाएं पैदा हो रही हैं।

lj{k.k dkjokb;k

- मई, 2006 में भारत के औषधि महा नियंत्रक (Drug Controller General) ने सभी राज्य औषधि नियंत्रकों को पशु चिकित्सा में उपयोग के लिए डाइक्लोफेनाक (Diclofenac) दवाओं के निर्माण के लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिये। इसके बाद अगस्त, 2008 में एक राजपत्र अधिसूचना द्वारा डाइक्लोफेनाक के पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की गई।
- इन उपायों के बावजूद पशु चिकित्सा में मानव चिकित्सा उपयोग में ली जाने वाली डाइक्लोफेनाक दवाओं का उपयोग जारी रहा। इसे कम करने के लिए जुलाई, 2015 में भारत के औषधि महा नियंत्रक जनरल ने मानव चिकित्सा उपयोग में ली जाने वाली डाइक्लोफेनाक दवाओं के बड़े "vials" पैकेजिंग पर प्रतिबंध लगाए जिससे इनकी मात्रा को अधिकतम 3 मिलीलीटर एम्प्यूल तक एक राजपत्र अधिसूचना द्वारा सीमित कर दिया|
- विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों में गिद्धों पर किए गए सुरक्षा आकलनों से यह साबित हुआ है कि उपलब्ध NSAIDs में से केवल मेलोक्सिकैम (Meloxicam) और टॉल्फेनामिक एसिड (Tolfenamic Acid) ही गिद्धों के लिए सुरक्षित हैं। इसके विपरीत डाइक्लोफेनाक, एसीक्लोफेनाक (Aceclofenac), निमेसुलाइड (Nimesulide), फ्लुनिक्सिन (Flunixin), कीटोप्रोफेन (Ketoprofen) और कार्प्रोफिन (Carprofen) सहित अन्य NSAIDs गिद्धों के लिए विषाक्त पाए गए हैं।
- सबसे हालिया अधिसूचना दिनांक 31, जुलाई 2023 द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 (1940 का 23) की धारा 26A के तहत कीटोप्रोफेन और एसीक्लोफेनाक के उनकी पशु चिकित्सा में उपयोग के लिए बनाई गई दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।

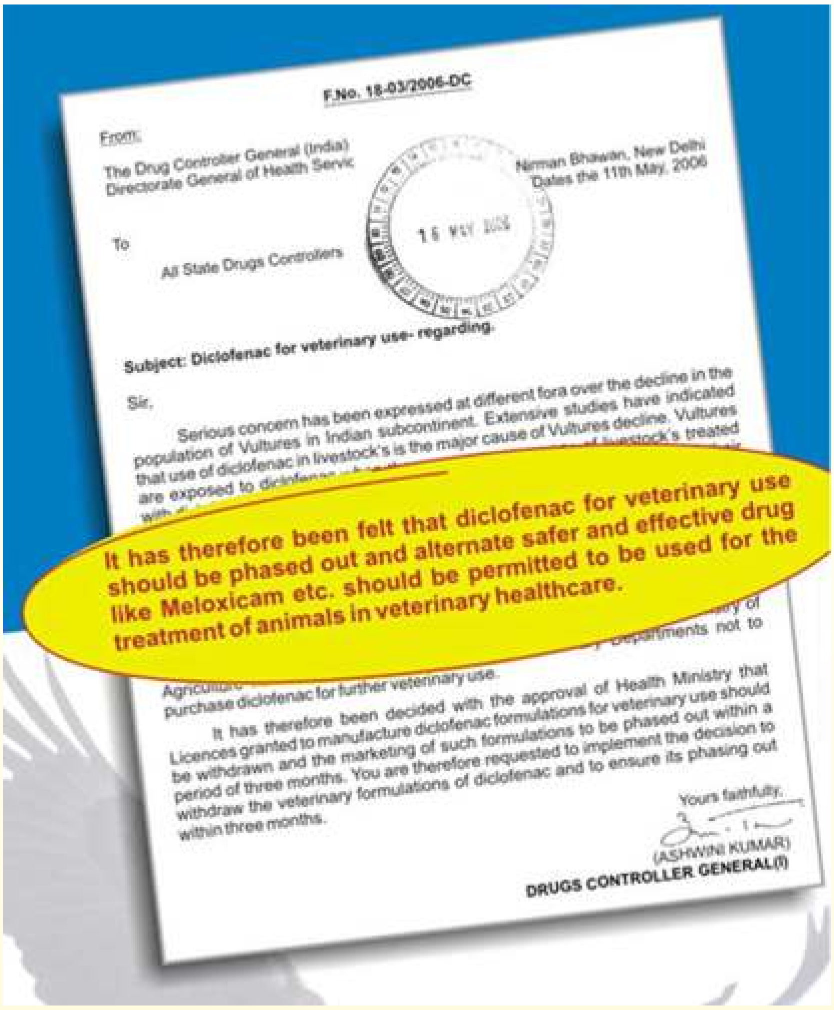

F.No. 18-03/2006-DC

From:
The Drug Controller General (India)
Directorate General of Health Servic

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 11th May, 2006

To
All State Drugs Controllers

Subject: Diclofenac for veterinary use- regarding.

Sir,

Serious concern has been expressed at different fora over the decline in the population of Vultures in Indian subcontinent. Extensive studies have indicated that use of diclofenac in livestock's is the major cause of Vultures decline. Vultures are exposed to diclofenac ...

It has therefore been felt that diclofenac for veterinary use should be phased out and alternate safer and effective drug like Meloxicam etc. should be permitted to be used for the treatment of animals in veterinary healthcare.

... Departments not to purchase diclofenac for further veterinary use.

It has therefore been decided with the approval of Health Ministry that Licences granted to manufacture diclofenac formulations for veterinary use should be withdrawn and the marketing of such formulations to be phased out within a period of three months. You are therefore requested to implement the decision to withdraw the veterinary formulations of diclofenac and to ensure its phasing out within three months.

Yours faithfully,

(ASHWINI KUMAR)
DRUGS CONTROLLER GENERAL(I)

tVk; lj{k.k çtuu dæ

गिद्धों की पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका और उनकी आबादी में अत्यधिक गिरावट के कारण संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता अनिवार्य हो गई। त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए बीएनएचएस (BNHS) और हरियाणा वन और वन्यजीव विभाग ने पहला संरक्षण अभियान शुरू किया। इस पहल ने इन-सिटू (in-situ) और एक्स-सिटू (ex-situ) संरक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया और गिद्ध संरक्षण के एक प्रमुख घटक के रूप में जटायू संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की।

भारत का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र-पिंजौर, हरियाणा की विशेष उपलब्धि

JCBC

BNHS India CONSERVING NATURE SINCE 1883

fx) lj{k.k çtuu dk;Øe

1. **परिचय:** एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र 2004 में हरियाणा के पंचकुला जिले में पिंजौर के पास बीड़ शिकरगाह वन्यजीव अभयारण्य के बाहर जोधपुर गाँव में स्थापित किया गया । यह केंद्र तीन गंभीर रूप से संकटग्रस्त गिद्ध प्रजातियों- सफेद पीठ वाले गिद्ध (Gyps bengalensis), लंबी चोंच वाले गिद्ध (Gyps indicus), और पतली चोंच वाले गिद्ध (Gyps tenuirostris)-के लिए बनाया गया था। यह केंद्र वल्चर रिकवरी प्लान 2004 की घोषणा के बाद स्थापित किया गया था ताकि इन तीन संकटग्रस्त गिद्ध प्रजातियों के संभावित विलुप्ति के खतरे से बचाव हो सके। माना गया था कि जब तक एक संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम स्थापित नहीं किया जाता तब तक इन तीन संकटग्रस्त गिद्ध प्रजातियों का विलुप्त होना संभव हो सकता था।

2. **गिद्धों के संरक्षण प्रजनन की आवश्यकता:** संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम की स्थापना तीन प्रजातियों के विलुप्ति के खतरे के खिलाफ सुरक्षा के रूप में की गई थी क्योंकि इन धीमी गति से प्रजनन करने वाले और लंबे समय तक जीवित रहने वाले पक्षियों की आबादी में 90% की गिरावट आई थी। यह ज्ञात था कि ऐसे पक्षियों में यदि वार्षिक वयस्क मृत्यु दर 5% से अधिक हो जाती है तो विलुप्ति का खतरा बढ़ जाता है। सफेद पीठ वाले गिद्ध के मामले में वार्षिक वयस्क मृत्यु दर 40% से अधिक हो गई थी और लंबी चोंच वाले और पतली चोंच वाले गिद्ध के मामले में यह 16% से अधिक थी। इतनी उच्च मृत्यु दर के साथ यह आशंका थी कि ये तीन प्रजातियाँ निकट भविष्य में विलुप्त हो सकती हैं और इन प्रजातियों को खोने से बचाने के लिए एक संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम का होना अत्यंत आवश्यक था।

3. **संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम का उद्देश्य और योजना:** संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम की स्थापना के बाद यह अनुमान लगाया गया था कि तीनों प्रजातियों के 600 जोड़े जंगल में छोड़ने से एक आत्मनिर्भर और आनुवंशिक रूप से व्यवहार्य आबादी का निर्माण संभव होगा। तीनों प्रजातियों के 600 जोड़े उत्पन्न करने के लिए छह विभिन्न केंद्रों की स्थापना का निर्णय लिया गया जिसमें प्रत्येक केंद्र से तीनों प्रजातियों के 100 जोड़े उत्पन्न किए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक केंद्र में 25 संस्थापक जोडों की आवश्यकता होगी।

4. **जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र (जेसीबीसी), पिंजौर:**

   (क) स्थान: संरक्षण प्रजनन कार्यक्रमों को लक्षित प्रजातियों के प्राकृतिक वितरण क्षेत्र में स्थापित करने की आवश्यकता होती है ताकि वे क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल हो सकें और वहां के प्राकृतिक रोग जनकों से अवगत हो सकें। पिंजौर का जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र सभी तीन लक्षित गिद्ध प्रजातियों के सामान्य वितरण क्षेत्र में स्थित है क्योंकि यह शिवालिक पर्वतमालाओं के हिमालय के तलहटी में मोरनी हिल्स के बीड शिकरगाह वन्यजीव अभयारण्य के किनारे पर स्थित है और पिंजौर शहर के निकट है। यह प्रजनन केंद्र हरियाणा वन विभाग द्वारा प्रदान की गई पांच एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया है।

(ख) जेसीबीसी में पक्षियों के आवास के लिए बुनियादी ढांचा: जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र (जेसीबीसी) में तीनों गिद्ध प्रजातियों के संस्थापक जनसंख्या और कैद में प्रजनन किए गए पक्षियों के लिए प्रत्येक प्रजाति के कम से कम 60 पक्षियों के लिए आवास निर्माण को 4-5 वर्षों में बजट सीमाओं के भीतर चरणबद्ध तरीके से पूरा किया गया। विभिन्न आयु वर्गों और स्वास्थ्य स्थितियों के पक्षियों के लिए 6-7 वर्षों में कई एवियरी बनाए गए। इस केंद्र में इन-हाउस प्रयोगशालाएं, एक क्लिनिकल और क्रिटिकल केयर रूम, एक खाद्य प्रसंस्करण कक्ष और एक प्रशासनिक कक्ष शामिल हैं। एवियरी की डिज़ाइन समान है जिसमें मिट्टी और रेत के फर्श पैरों की चोटों को कम करने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए बैठने के स्थान, दोहरे दरवाजे, और पानी के कुंड हैं।

जेसीबीसी के मुख्य केंद्र से कम से कम 5 किलोमीटर दूर एक अलग क्वारंटाइन सुविधा बनाई गई है जिसमें तीन क्वारंटाइन एवियरी शामिल हैं। इन एवियरी में पक्षियों को मुख्य केंद्र में स्थानांतरित करने से पहले 45 दिनों तक स्वास्थ्य निगरानी के लिए रखा जाता है। ये एवियरी लोहे के खंभों और नेट्लोन से बनाई गई हैऔर क्वारंटाइन के लिए सख्त "सभी अंदर और सभी बाहर" की नीति का पालन किया जाता है।

केंद्र में आठ नर्सरी एवियरी, छह कॉलोनी एवियरी, आठ होल्डिंग एवियरी, दो डिस्प्ले एवियरी, चार अस्पताल एवियरी, आठ प्रजनन एवियरी, एक ग्रीन एवियरी और एक रिलीज एवियरी हैं।

कॉलोनी एवियरी केंद्र की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण एवियरी हैं। यहां छह कॉलोनी एवियरी (100x40x20 फीट) हैं जो उप-वयस्क और वयस्क पक्षियों के लिए बनाई गई हैं। ये एवियरी पक्षियों को एक छोर से दूसरे छोर तक उड़ान भरने और पंख व्यायाम करने के लिए तथा सामाजिक रूप से भोजन करने के लिए पर्याप्त बड़ी है। ये एवियरी आसानी से 30-35 वयस्क गिद्धों को समायोजित कर सकती हैं।

एवियरी डिज़ाइन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू बैठने की जगहों की स्थिति है। अधिकांश बैठने की जगहें मानव ऊंचाई से ऊपर होती हैं और इनकी सतह असमान होती है। नारियल की रस्सी को बैठने की जगहों के चारों ओर लपेटा जाता है ताकि उन्हें खुरदरी सतह दी जा सके।

दो साल तक के युवा और उप-वयस्क पक्षियों को 8 होल्डिंग एवियरी में रखा जाता है जिसमें एक बड़ी एवियरी में 10 जोड़े और अन्य छोटी एवियरी में प्रत्येक में 2 जोड़े समायोजित किए जा सकते हैं। जो पक्षी घायल हो जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं उन्हें उपचार और देखभाल के लिए अस्पताल एवियरी में स्थानांतरित किया जाता है।

केंद्र एक ऑफ-डिस्प्ले सुविधा है लेकिन उत्सुक आगंतुकों के लिए 2 डिस्प्ले एवियरी का निर्माण किया गया है जहां ऐसे पक्षियों को रखा गया है जिन्हें जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता है।

Colony Aviary, 100x40x20'

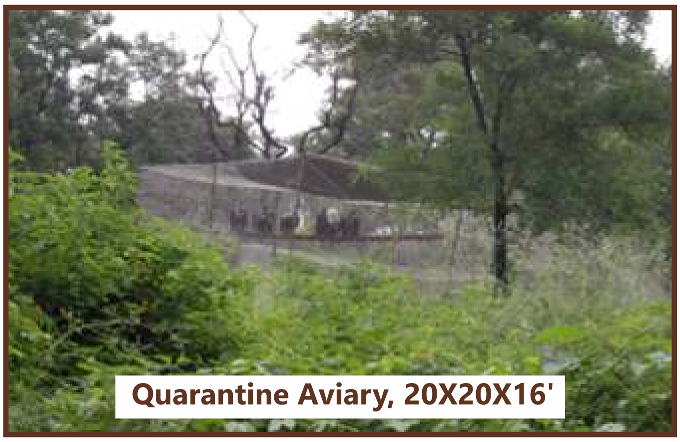
Quarantine Aviary, 20X20X16'

Quarantine Aviary, 20X20X16'

Nursery Aviary, 10X8X12'

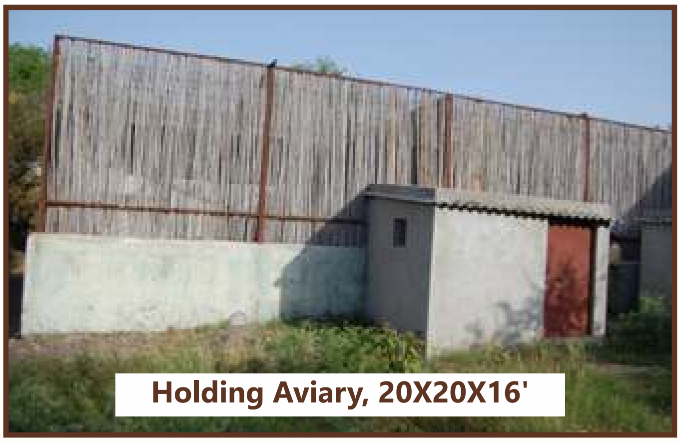
Holding Aviary, 20X20X16'

Display Aviary, 25x17x14'

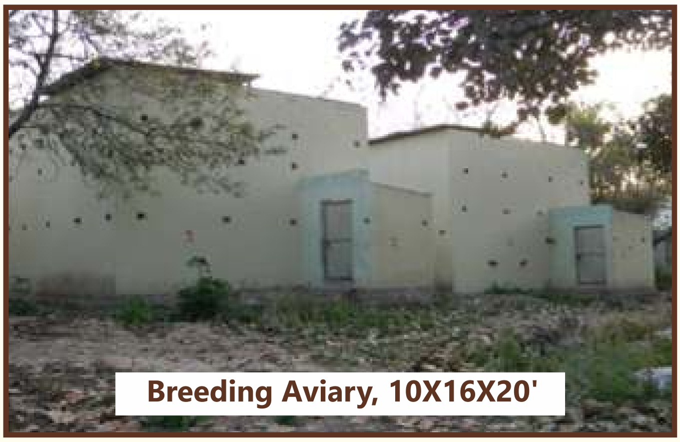
Breeding Aviary, 10X16X20'

Hospital Aviary, 10X8X12

आवास संरचनाओं के अलावा संरक्षण प्रजनन केंद्र में एक छोटी आणविक जीवविज्ञान प्रयोगशाला, आंत माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगशाला, एक हीमेटोलॉजी प्रयोगशाला और एक क्लिनिकल रूम है जो गैस एनेस्थीसिया मशीन और बुनियादी शल्य चिकित्सा उपकरणों और दवाओं से सुसज्जित है।

Hematology Lab

Biochemistry Lab

Molecular Sexing Lab

Microbiology Lab

(ग) जेसीबीसी में संस्थापक गिद्धों की जनसंख्या का संग्रह: जेसीबीसीमें संस्थापक गिद्धों का संग्रह देश के विभिन्न हिस्सों (मुख्य रूप से हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात) से किया गया था ताकि अच्छी आनुवंशिक विविधता सुनिश्चित हो सके। कुछ सफेद पीठ वाले गिद्धों को जो पतंग की डोर से घायल हो गए थे और जिन्हे गुजरात में पशु कल्याण संगठनों द्वारा बचाया गया और बाद में इस केंद्र में लाया गया। लंबी चोंच वाले गिद्ध मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात से एकत्र किए गए थे। पतली चोंच वाले गिद्ध केवल असम से एकत्र किए जा सके। अधिकांश संस्थापक स्टॉक का संग्रह 2007 तक पूरा हो गया था।

(घ) संग्रह स्थलों से जेसीबीसी तक गिद्धों का परिवहन: पक्षियों को खुले शीर्ष वाले आयताकार लकड़ी के बक्सों में हवाई मार्ग से या वातानुकूलित वाहनों में लाया गया। गिद्ध आकार में बड़े होते हैं लेकिन वे बहुत ही संवेदनशील होते हैं और पकड़े जाने पर उनके शरीर का तापमान 5°C तक बढ़ सकता है जिससे वे अचानक मर सकते हैं इसलिए उनका परिवहन तेजी से किया जाना चाहिए। बक्से में ढक्कन और नीचे की सतह को छोड़कर सभी जगह छोटे-छोटे छेद होते हैं ताकि हवा का संचार हो सके। परिवहन के दौरान पक्षियों को भोजन या पानी नहीं दिया जाता है।

(ड़) जेसीबीसी में पक्षियों का आगमन: जब पक्षी इस केन्द्र में आते हैं तो उन्हें सबसे पहले क्वारंटाइन सुविधा में ले जाया जाता है। 45 दिनों के क्वारंटाइन के अंत में पक्षियों का अंतिम स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है जिसके बाद उन्हें इस केन्द्र में स्थानांतरित किया जाता है। इस केन्द्र में आये हुए सभी पक्षियों की पहचान के लिए उन्हें रिंग और माइक्रो-चिप लगाया जाता है।

Leg band

Micro-chip

(च) गिद्धों के लिए भोजन की व्यवस्था: गिद्धों को ताजी मारी गई बकरियों का मांस दिया जाता है जिन्हें केंद्र में कम से कम दस दिनों तक रखा गया होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे विषाक्त NSAIDs से मुक्त हैं। गिद्धों को पूरी बकरी का शव दिया जाता है जिसमें से केवल चमड़ी हटा दी जाती है क्योंकि ये तीन प्रजातियाँ चमड़ी नहीं खाती हैं। चूंकि गिद्ध मृत जानवरों पर निर्भर होते हैं और वे रोज़ नहीं खाते इसलिए उन्हें सोमवार और शुक्रवार को ही मांस प्रदान करके जंगली परिस्थितियों की नकल की जाती हैं। एक गिद्ध को एक सप्ताह में 4 किलो मांस दिया जाता है जो उसके शरीर के वजन का 5% होता है। सभी एवियरी में पानी के कुंड हैं जिन्हें बिना एवियरी में प्रवेश किए बाहर से भरा और खाली किया जा सकता है।

एवियरी के अंदर बकरी का शव खा रहे गिद्धों का एक समूह

एवियरी के अंदर गिद्धों के लिए पानी की व्यवस्था

(छ) गिद्धों द्वारा घोंसला बनाना और प्रजनन व्यवहार:

(i) **प्रणय और जोड़ी बनाना:** गिद्धों की Gyps प्रजातियाँ 3-4 साल की उम्र में जोड़ी बनाना शुरू करती हैं। आमतौर पर नर गिद्ध मादा को एक टहनी भेंट करता है और यदि मादा उसे स्वीकार कर लेती है तो वे जीवनभर के लिए जोड़ी बना लेते हैं। वे एक घोंसला बनाने का स्थान चुनते हैं और आमतौर पर साथ-साथ देखे जाते हैं। प्रजनन के मौसम के दौरान वे घोंसला बना सकते हैं और अंडे दे सकते हैं। हालांकि, उर्वर अंडे केवल तब दिए जाते हैं जब वे 5 साल से अधिक के हो जाते हैं। इस केन्द्र में सफेद पीठ वाला गिद्ध सबसे पहले 2005 में प्रजनन करने लगा। हालांकि, पहला सफल प्रजनन 2008 में हुआ। पतली चोंच वाले गिद्ध का पहला सफल प्रजनन 2009 में और लंबी चोंच वाले गिद्ध का सफल प्रजनन 2011 में हुआ।

(ii) **प्रजनन मौसम की शुरुआत और घोंसला बनाना:** तीनों प्रजातियों के लिए प्रजनन का मौसम हर साल अक्टूबर से शुरू होता है। वे अपने घोंसले के स्थान की रक्षा करना शुरू करते हैं और घोंसला बनाने लगते हैं। घोंसला बनाने की सभी गतिविधियों में नर और मादा दोनों समान रूप से भाग लेते हैं। कुछ जोड़े बड़े घोंसले बनाते हैं जबकि कुछ केवल कुछ टहनियों के साथ ही घोंसला बना लेते हैं। सफेद पीठ वाले गिद्ध सबसे पहले अक्टूबर में घोंसला बनाना शुरू करता है, लंबी चोंच वाले गिद्ध नवंबर में और पतली चोंच वाले गिद्ध दिसंबर में। दोनों माता-पिता घोंसला बनाने में भाग लेते हैं। केंद्र के चारों ओर मुख्य पेड़ प्रजातियों से टहनियाँ और हरी शाखाएँ सितंबर के बाद हर सप्ताह बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराई जाती हैं। पक्षी स्वयं घोंसले का सामग्री चुनते हैं और घोंसला बनाने के लिए घोंसले के स्थान पर ले जाते हैं। इस प्रक्रिया में दो महीने तक लग सकते हैं।

Bathing

Sunnig

(iii) **गिद्धों के अंडे सेने और घोंसले में रहने की अवधि:** गिद्ध हर साल एक अंडा देते हैं, आमतौर पर दिसंबर में। दोनों माता-पिता सेने की जिम्मेदारी साझा करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि अंडा कभी अकेला न रहे और प्रतिदिन 2-3 बार अदला-बदली करते हैं प्रत्येक शिफ्ट 6-7 घंटे तक चलती है। कभी-कभी गिद्ध अपनी शिफ्ट के दौरान शरीर को फैलाते हैं। अंडे लगभग 50 दिन की उम्र में आवाज करना शुरू कर देते हैं (आंतरिक पिप), 53 दिन में दरारें आने लगती हैं (बाहरी पिप), और 55 दिन में आमतौर पर जनवरी के अंत तक अंडे से बच्चे निकल आते हैं। पहले दिन से ही घोंसले के बच्चे माता-पिता द्वारा उगला गया मांस खाते हैं जिसे वे घोंसले से या सीधे माता-पिता की चोंच से उठाते हैं।

(iv) **कृत्रिम अंडा ऊष्मायन और चूजों की अदला-बदली:** कभी-कभी गिद्ध अपने अंडे नहीं सेते हैं या उन्हें जमीन पर दे देते हैं। ऐसे अंडों को बचाया जाता है और एक तापमान नियंत्रित कक्ष (12x10x10 फीट) में ऊष्मायन किया जाता है जिसमें इनक्यूबेटर 36.3 से 36.9°C पर सेट होते हैं। केंद्र उत्पादकता बढ़ाने के लिए पहले अंडे के समूह को हटाकर और ऊष्मायन करके पक्षियों को दूसरी बार अंडे देने के लिए प्रेरित करता है (डबल क्लचिंग)। अंडे आमतौर पर लगभग 55 दिनों में फूटते हैं, 50 दिन में आंतरिक पिप और 52 दिन में बाहरी पिप होता है। बाहरी पिप के बाद अंडों को एक तापमान नियंत्रित ब्रूडर कक्ष (12x10x10 फीट) में स्थित हैचर में ले जाया जाता है जो लकड़ी के ब्रूडर बक्सों (1.5x1.5x2.0 फीट) और हीट लैंप से सुसज्जित होता है।

पक्षियों के चूजों को समूहों में पाला जाता है ताकि वे मनुष्यों पर प्रभाव न डालें और तीसरे दिन से ही उन्हें विटामिन D3 के लिए धूप में रखा जाता है। 10 दिन बाद चूजों को उनके माता-पिता के पास लौटा दिया जाता है और दूसरे अंडे को कृत्रिम ऊष्मायन के लिए हटा लिया जाता है। इस प्रक्रिया जिसे चूजों की अदला-बदली और डबल क्लचिंग कहा जाता है से प्रत्येक जोड़ी से वर्ष में कम से कम एक चूजा मिलने की संभावना होती है। गिद्ध अपने घोंसले के बच्चों की पहचान गंध से नहीं करते हैं जिससे अन्य जोड़ों द्वारा पालने की संभावना होती है।

(ज) संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम की स्थिति: संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। तीनों गिद्ध प्रजातियों की सबसे अधिक

गिद्ध के बच्चों को इंसानी प्रभाव से बचाने के लिए एक साथ रखा गया है

इन्क्यूबेशन रूम में टेबल-टॉप इनक्यूबेटर

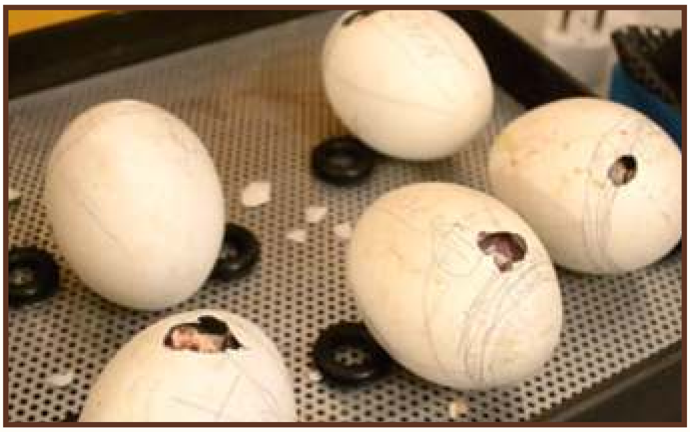

हैचर में रखे गए अंडे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे गिद्ध के चूजे

कृत्रिम ऊष्मायन द्वारा पैदा हुआ गिद्ध का चूजा, जिसके पंखों का आवरण बहुत कम है

संख्या जेसीबीसी, पिंजौर में पाली जा रही है।

तालिका 1. नवंबर, 2024 में जेसीबीसी, पिंजौर में गिद्धों की संख्यां

क्रम संख्या	*प्रजातियाँ*	*कुल*
1	सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध	97
2	लंबी चोंच वाले गिद्ध	219
3	पतली चोंच वाले गिद्ध	62
	कुल	378

तालिका 2. नवंबर, 2024 तक जेसीबीसी, पिंजौर में पैदा हुए चूज़ों की संख्यां

क्रम संख्या	*प्रजातियाँ*	*कुल*
1	सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध	138
2	लंबी चोंच वाले गिद्ध	213
3	पतली चोंच वाले गिद्ध	53
	कुल	404

पहली बार सफलतापूर्वक तीन गंभीर रूप से संकटग्रस्त गिद्धों की प्रजातियों का प्रजनन हुआ।

लंबी चोंच वाले गिद्ध का चूज़ा

सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध का चूज़ा

पतली चोंच वाले गिद्ध का चूज़ा

(झ) देश में संरक्षण प्रजनन केंद्र: केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA-Central Zoo Authority) ने जेसीबीसी, पिंजौर को अपने गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए समन्वयक चिड़ियाघर के रूप में नामित किया। CZA ने जेसीबीसी, पिंजौर की तकनीकी सहायता से देश के विभिन्न चिड़ियाघरों में पाँच और गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। 2007 में वन विहार चिड़ियाघर, भोपाल; नंदनकानन चिड़ियाघर, ओडिशा; नेहरू प्राणि उद्यान, तेलंगाना और साकरबाग चिड़ियाघर, जूनागढ़ में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, स्थापित किए गए, जबकि 2009 में मुटा, झारखंड में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी गई। CZA ने जेसीबीसी, पिंजौर की मदद से 2012 में गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए एक "कार्य प्रबंधन पुस्तिका" प्रकाशित की जो गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल प्रदान करती है।

(ञ) गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम का इन-सिटू लिंक:

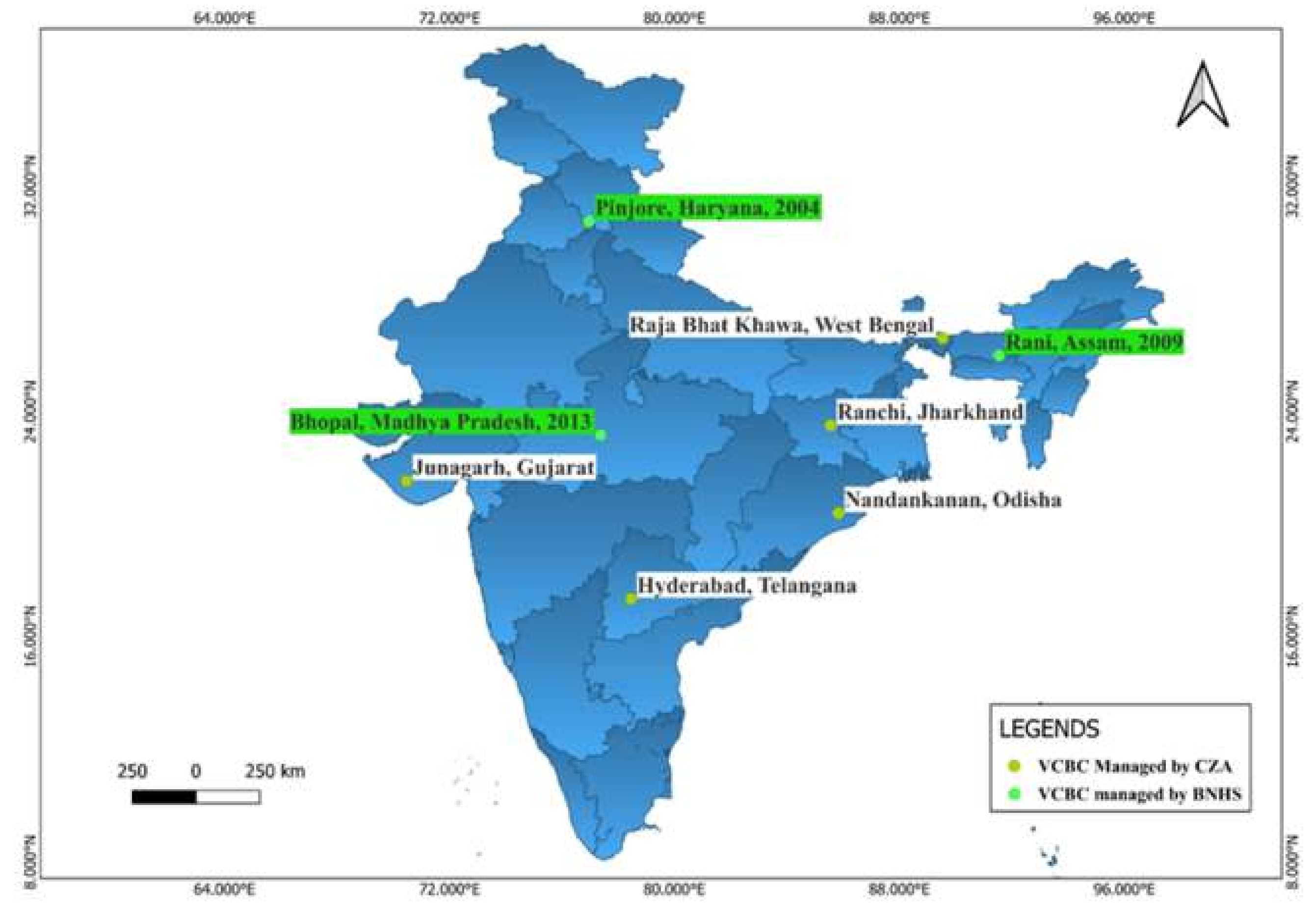

(i) **पुनर्वसन की तैयारी:** गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम का उद्देश्य कैद में पाले गए गिद्धों को जंगल में पुनर्वसन कराना है ताकि मौजूदा आबादी को समर्थन मिल सके और विलुप्ति से बचाया जा सके। सफल प्रजनन और मवेशियों के शवों में डाइक्लोफेनाक के उपयोग में कमी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। पुनर्वसनके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(ii) **गिद्धों के लिए विषाक्त NSAIDs पर प्रतिबंध:** केंद्र ने 2006 में पशु औषधि डाइक्लोफेनाक पर प्रतिबंध की वकालत की जिसके लिए 2008 में अधिसूचना जारी की गई। 2015 में सरकार ने मवेशियों पर इस औषधि के दुरुपयोग को रोकने के लिए औषधि के मानव के प्रयोग हेतू बनाये गये formulations को 3 मि०ली० तक सीमित कर दिया। 2006 में मेलोक्सिकैम को सुरक्षित माना गया और हाल ही में टोल्फेनामिक एसिड को भी सुरक्षित माना गया है। हालाँकि, एसीक्लोफेनाक, निमेसुलाइड और कीटोप्रोफेन को विषाक्त पाया गया। फार्मेसी सर्वेक्षणों से डाइक्लोफेनाक के उपयोग में कमी और मेलोक्सिकैम के उपयोग में वृद्धि का पता चला। जुलाई 2023 में एसीक्लोफेनाक और कीटोप्रोफेन को पशु चिकित्सा उपयोग के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया।

(iii) **पर्यावरणीय सुरक्षा का परीक्षण:** पिंजौर और राजा भाट-खावा केंद्रों में परीक्षण हेतु गिद्ध रिलीज़ किए गए। पिंजौर से अक्टूबर 2020 में आठ गिद्धों को छोड़ा गया जिनकी NSAID विषाक्तता से मृत्यु नहीं हुई हालाँकि अन्य कारणों से तीन की मृत्यु हो गई। फरवरी 2021 और जुलाई 2022 में राजा भाट-खावा से दस पक्षी छोड़े गए जो 100 किमी के दायरे में अच्छी तरह से रह रहे हैं। दिसम्बर 2024 में पिंजौर से 25 पक्षियों को ट्रैकिंग उपकरणों के साथ छोड़ा जाएगा और 100 किमी क्षेत्र में गिद्धों के लिए विषाक्त दवाओं की निगरानी जारी रहेगी।

2004 से गिद्ध संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उपलब्धियों में डाइक्लोफेनाक और अन्य विषाक्त दवाओं पर प्रतिबंध और तीन गिद्ध प्रजातियों का सफल कैद प्रजनन शामिल है। हालाँकि, यह यात्रा अभी भी जारी है। अगले चरण में कैद में पाले गए गिद्धों को छोड़ना शामिल है जिसमें नए NSAID खतरों जैसी चुनौतियाँ हैं। जब तक पर्यावरण सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक गिद्धों के पुनर्वसनऔर संरक्षण प्रजनन का संयोजन जारी रहेगा जैसा कि गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020-2025 द्वारा सिफारिश की गई है।

tlhchlh fitkj l fofHkUu dæk e fx)k dk LFkkukrj.k

स्थानांतरण का वर्ष	पक्षियों की संख्या	स्थानांतरण स्थल
अप्रैल, 2014	8 लंबी चोंच वाले गिद्ध, 7 सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध	गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, भोपाल
जून, 2016	6 लंबी चोंच वाले गिद्ध, 4 सफ़ेद पीठवाले गिद्ध	गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, भोपाल
अक्टूबर, 2016	10 लंबी चोंच वाले गिद्ध, 5 सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध	गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, भोपाल
जून, 2023	20 सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध	गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, भोपाल (चित्र:1)
जनवरी, 2024	10 सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध	ताडोबा-अंधेरी टाइगर रिजर्व
जनवरी, 2024	10 लंबी चोंच वाले गिद्ध	पेंच टाइगर रिजर्व (चित्र:2)
मार्च, 2024	20 सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर (चित्र:3)

चित्र: 1

चित्र: 2

चित्र: 3

fx) iuolu dk;Øe] fitkj

वन्य क्षेत्र में गिद्धों के पुनःप्रवेश कार्यक्रम में कैद में पले-बढ़े गिद्धों को उनके प्राकृतिक आवासों में छोड़ने की प्रक्रिया शामिल है जिससे मौजूदा आबादी को सशक्त किया जा सके और प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रक्रिया में सावधानी पूर्वक प्रजनन, निगरानी और अनुकूलन शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पक्षी वन्य क्षेत्र में पनप सकें। गिद्धों का पुनर्वसन प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे उन आबादियों को बहाल करने में मदद मिलती है जो विभिन्न खतरों, विशेष रूप से डाइक्लोफेनाक जैसे पशु चिकित्सा दवाओं से विषाक्तता के कारण गंभीर रूप से संकटग्रस्त हो गई हैं। गिद्ध शवों का उपभोग करके पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो बीमारियों के प्रसार को रोकते है और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। गिद्धों की सुरक्षा से समग्र जैव विविधता में भी सुधार होता है जिससे पारिस्थितिक तंत्र का स्वास्थ्य और स्थिरता बनी रहती है। इसके अलावा गिद्धों का कई क्षेत्रों में सांस्कृतिक महत्व है और यह पर्यटन में योगदान देते हैं जिससे आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। गिद्ध संकेतक प्रजातियों के रूप में कार्य करते हैं जो पर्यावरण के स्वास्थ्य का संकेत देते हैं और उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहे परिवर्तनों को उजागर करती है। यह संरक्षणवादियों को व्यापक पारिस्थितिक मुद्दों की निगरानी और समाधान करने में सक्षम बनाता है। पुनःप्रवेश प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके संरक्षण कार्यक्रम टिकाऊ गिद्ध आबादी बनाने का लक्ष्य रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि ये आवश्यक पक्षी अपने महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय भूमिकाओं को निभाते रहें।

गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र :

वन्य गिद्धों की आबादी की पुनःप्राप्ति सुनिश्चित करने और कैद में पले-बढ़े गिद्धों की पुनःप्रवेश के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए डाइक्लोफेनाक और अन्य विषाक्त NSAIDs के पशु चिकित्सा उपयोग को समाप्त करना महत्वपूर्ण है। यह उनके विलुप्त होने को रोकने के लिए आवश्यक है। गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र मौजूदा गिद्ध आबादी वाले क्षेत्रों से इन हानिकारक दवाओं को हटाने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रारंभ मेंइन क्षेत्रों की पहचान अस्थायी गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र के रूप में की जाती है। एक बार जब यह पुष्टि हो जाती है कि विषाक्त NSAIDs का खतरा हटा दिया गया हैतो उन्हें सच्चे गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है।

एक गिद्ध सुरक्षा क्षेत्र मौजूदा गिद्ध आबादी के आसपास 100 किमी के दायरे (लगभग 30,000 वर्ग किमी) को शामिल करता है। लक्षित वकालत और जागरूकता के माध्यम से डाइक्लोफेनाक का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और अन्य NSAIDs का सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाता है ताकि गिद्धों के लिए एक सुरक्षित भोजन स्रोत सुनिश्चित हो सके। 100 किमी का दायरा नेपाल में सफेद-पीठ वाले गिद्धों की सैटेलाइट टेलीमेट्री पर आधारित है जिससे पता चला कि वे भोजन की तलाश में प्रतिदिन 100 किमी तक की यात्रा कर सकते हैं।

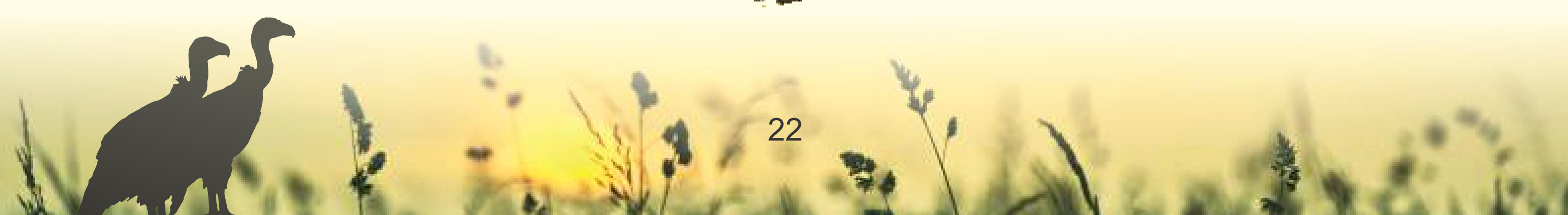

fx) lqjf{kr {k= LFkkfir djus dh çfØ;k

गिद्ध सुरक्षित क्षेत्रों के लिए स्थल चयन:

गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र स्थापित करने की शुरुआत कई महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर उपयुक्त स्थल का चयन करने से होती है। साइट को लक्षित गिद्ध प्रजातियों जैसे Gyps प्रजातियां, लंबी-चोंच वाले गिद्ध, सफेद-पीठ वाले गिद्ध और पतली-चोंच वाले गिद्ध की प्राकृतिक वितरण सीमा के भीतर आना चाहिए। इसमें गिद्धों के लिए उपयुक्त आवास और पर्याप्त खाद्य स्रोत होने चाहिए जिसमें आसपास के संरक्षित क्षेत्र और स्थानीय भागीदार शामिल हों जो जमीनी स्तर के प्रयासों को सुविधा जनक बना सकें। महत्वपूर्ण रूप से क्षेत्र में डाइक्लोफेनाक के अलावा गिद्धों के लिए अन्य प्रमुख खतरे नहीं होने चाहिए और स्थानीय समुदायों का गिद्धों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए।

मूलभूत जानकारी का संग्रह:

एक बार साइट चुन ली जाने के बाद विभिन्न कारकों पर मूलभूत डेटा एकत्र करना अगला कदम होता है। इसमें सड़क ट्रांसेक्ट, घोंसले की गिनती और शवों के ढेर पर गिद्धों की कुल गिनती जैसी विधियों के माध्यम से गिद्धों की आबादी और वितरण का आकलन करना शामिल है। खाद्य उपलब्धता का अनुमान लगाने के लिए मवेशियों के शवों की गिनती की जाती है और गिद्धों के भोजन करने का अवलोकन किया जाता है जबकि आवास का आकलन उपयुक्त घोंसले और बसेरा स्थलों की पहचान पर ध्यान केंद्रित करता है। खतरों की पहचान फार्मेसी सर्वेक्षणों के माध्यम से विषाक्त NSAIDs का पता लगाने, मवेशियों के शवों के नमूनों में दवाओं के अवशेषों की जांच और सामुदायिक सर्वेक्षणों के माध्यम से गिद्धों के प्रति स्थानीय धारणाओं का आकलन करना शामिल है। जागरूकता कार्यक्रम महत्वपूर्ण होते हैं, जो डाइक्लोफेनाक उपयोग को रोकने के लिए दवा वितरण श्रृंखला के साथ जुड़े हितधारकों को लक्षित करते हैं।

प्रभावी संरक्षण के लिए गिद्धों की आबादी, घोंसले की सफलता, NSAIDs की व्यापकता, खाद्य उपलब्धता और अन्य खतरों की निगरानी आवश्यक है। गिद्ध सुरक्षा क्षेत्रों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी आवश्यक है ताकि गिद्धों और उनके आवासों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके।

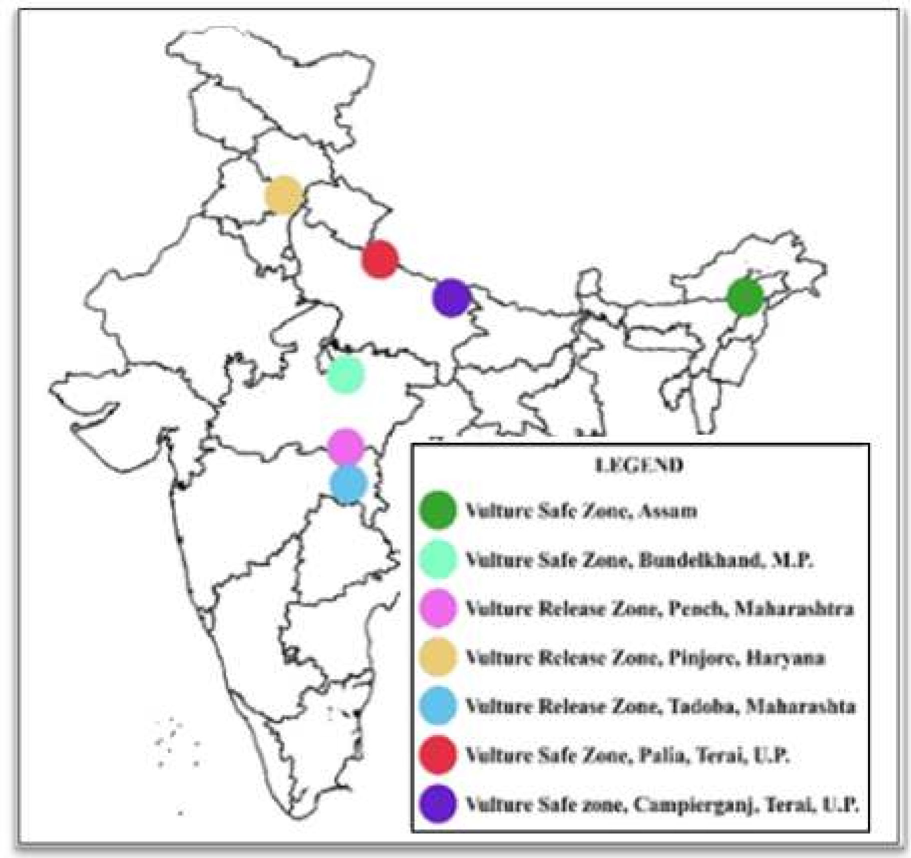

भारत में गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र

fx) ljf{kr {k=] fitkj

पिंजौर, हरियाणा में स्थित गिद्ध सुरक्षा क्षेत्र 100 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यह क्षेत्र हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों को शामिल करता है। हरियाणा में यह सुरक्षा क्षेत्र पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र जिलों को कवर करता है। पंजाब में यह क्षेत्र शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, फतेहपुर साहिब, लुधियाना, पटियाला और मोहाली जिलों में फैला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में यह सुरक्षा क्षेत्र शिमला, सोलन, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और सिरमौर जिलों को शामिल करता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यह क्षेत्र क्रमशः सहारनपुर और देहरादून जिलों में फैला हुआ है।

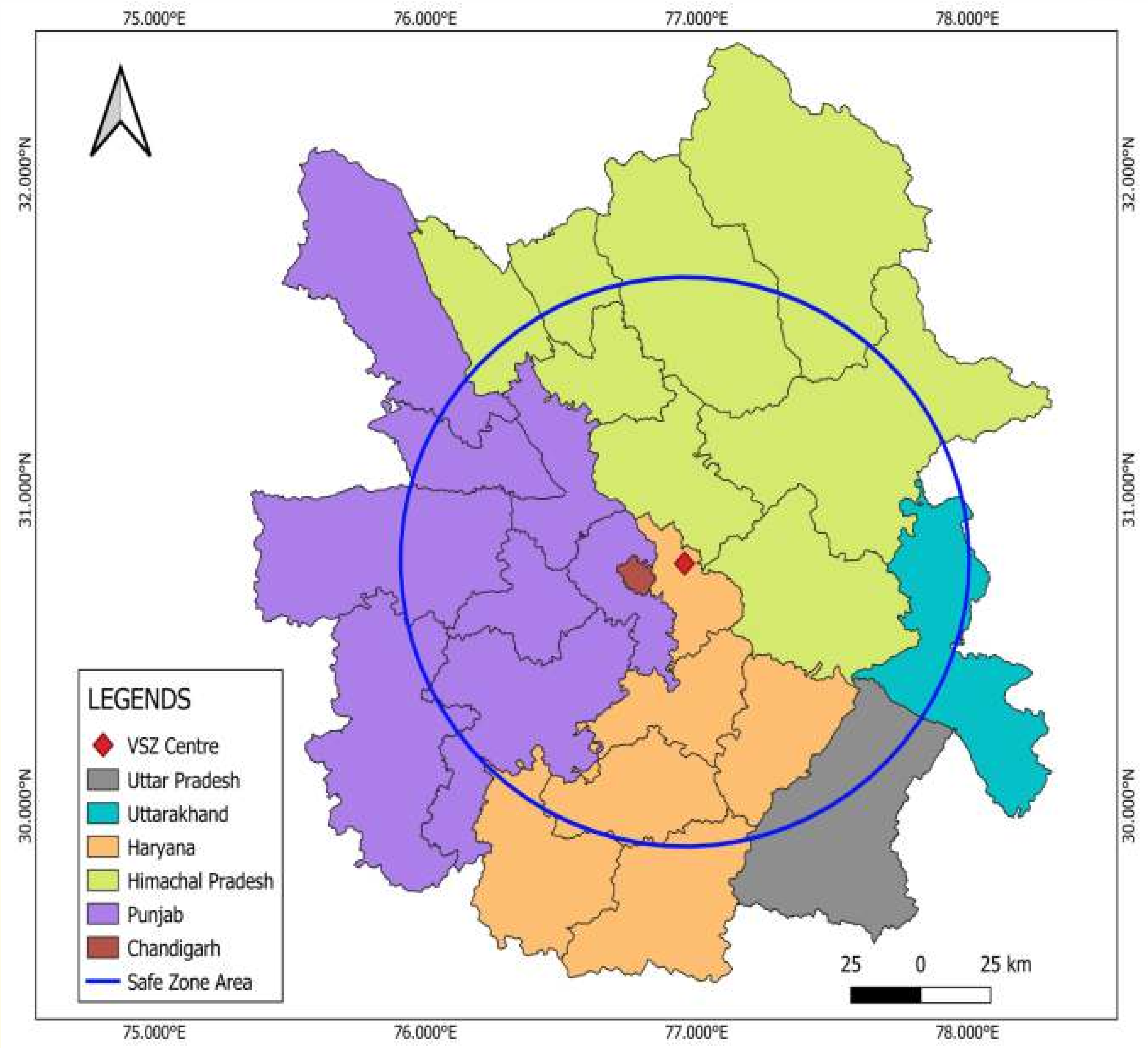

गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र, पिंजौर

fi tkj fx) lqjf{kr {k= e dh xb xfrfof/k;k

(क) गिद्धों की जनसंख्या और वितरण का आकलन: पिंजौर गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र में गिद्धों की जनसंख्या और वितरण का निर्धारण करने के लिए नियमित रूप से रोड ट्रांसेक्ट सर्वेक्षण किए जाते हैं। इन सर्वेक्षणों में निर्धारित ट्रांसेक्ट पर नजर रखी जाती है ताकि सुरक्षा क्षेत्र के भीतर गिद्धों की जनसंख्या का आकलन किया जा सके।

(ख) भोजन और आवास की उपलब्धता का अनुमान: गिद्धों के लिए भोजन की उपलब्धता का आकलन करने के लिए अस्थायी गिद्ध रिहाई क्षेत्र में चयनित स्थानों पर डंप सर्वेक्षण किए जाते हैं। इन सर्वेक्षणों के दौरान गिद्धों की संख्या का सटीक आकलन किया जाता है ताकि भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(ग) गिद्ध-विषाक्त NSAIDs की निगरानी: गिद्धों के लिए विषाक्त NSAIDs जैसे कि डाइक्लोफेनाक, एसीक्लोफेनाक, निमेसुलाइड और कीटोप्रोफेन की व्यापकता की निगरानी के लिए पिंजौर गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र के सभी राज्यों में अंडरकवर फार्मेसी सर्वेक्षण किए जाते हैं। इन सर्वेक्षणों में प्रत्येक तहसील/ब्लॉक में एक फार्मेसी का गुप्त दौरा शामिल होता है। इसके अतिरिक्त, गिद्धों के प्राथमिक खाद्य स्रोत, मवेशियों के शवों से ऊतक नमूने एकत्र किए जाते हैं और उनमें NSAIDs की उपस्थिति का निर्धारण करने के लिए उनका विश्लेषण किया जाता है।

(घ) बैठकें और जागरूकता कार्यक्रम: राज्य के खाद्य और औषधि प्रशासन के ड्रग कंट्रोलर, पशुपालन विभाग के निदेशक और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक सहित प्रमुख विभागों के साथ नियमित वकालत बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों के माध्यम से गिद्ध संरक्षण रणनीतियों और गिद्ध-विषाक्त NSAIDs के खिलाफ नियामक उपायों के प्रवर्तन पर चर्चा की जाती है।

जागरूकता कार्यक्रम वन विभाग, पशुपालन विभाग और खाद्य और औषधि प्रशासन के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में फ्रंटलाइन वन अधिकारियों से लेकर फार्मासिस्टों तक के हितधारकों को शामिल किया जाता है और स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के लिए प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाते हैं, जिससे गिद्ध संरक्षण प्रयासों के लिए व्यापक जागरूकता और समर्थन सुनिश्चित होता है।

पिंजौर गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र में की जा रही इन व्यवस्थित गतिविधियों का उद्देश्य गिद्धों की आबादी को सुरक्षित करना है, जिसमें खतरों का समाधान करना, भोजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और प्रभावी वकालत और जागरूकता पहलों के माध्यम से सामुदायिक समर्थन को बढ़ावा देना शामिल है।

शैक्षणिक संस्थाओ के साथ गिद्ध संगरक्षण जागरूकता कार्यक्रम

(ड़) देश के विभिन्न हिस्सों से वन विद्यालयों का दौरा: वन विभाग वन्यजीवों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। केंद्र का दौरा देश के वन अकादमियों के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। परिणाम स्वरूप, केंद्र देश के विभिन्न वन अकादमियों को गिद्ध संरक्षण प्रजनन पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है।

जनवरी 2023 से नवंबर 2024 तक निम्नलिखित संस्थानों के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:-

क्रमांक	संस्थान	बैच	प्रशिक्षु
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून	2	170
2	तेलगाना राज्य वन आकदमी, हैदराबाद	1	44
3	हरियाणा वन प्रशिक्षण संस्थान, पिंजौर	4	134
4	हरियाणा वन प्रशिक्षण संस्थान, सोहना	2	74
5	उत्तराखंड वन प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी	13	490
6	महाराष्ट्र वन विभाग, चंद्रपुर	4	150
7	केंद्रीय राज्य वन सेवा अकादमी, तमिलनाडु	2	111
8	ओडिशा वन विभाग	1	27
9	राजस्थान वन विभाग	1	44
10	हिमाचल प्रदेश वन अकादमी, सुंदर नगर, हिमाचल प्रदेश	3	146
11	भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII), देहरादून	3	40
12	भारतीय वायु सेना, चंडीगढ़	1	39
13	अन्य शिक्षण संस्थान	2	57
14	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून	1	41
	कुल	***40***	***1567***

13 नवंबर 2015 को माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र में गिद्धों को प्री-रिलीज़ एवियरी में छोड़ा गया।

3 जून 2016 को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और भारत के केंद्रीय मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा दो गिद्धों को प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया।

हरियाणा के माननीय वन और वन्यजीव मंत्री, श्री कंवर पाल गुर्जर द्वारा अक्टूबर 2020 में प्राकृतिक आवास में छह बंदी पाले गए और दो जंगली पकड़े गए सफेद पीठ वाले गिद्धों को छोड़ा गया।

माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव ने फरवरी 2023 में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र-पिंजौर का दौरा किया।

हरियाणा के पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्री आनंद मोहन शरण-आईएएस ने 26 मई 2024 को जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का दौरा किया।

tlhchlh] fitkj dh egRoi.k miyfC/k;k (Milestones)

सितंबर 2001: हरियाणा सरकार ने बीड़ शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य के पास "गिद्ध देखभाल केंद्र" स्थापित करने की अनुमति दी।

फरवरी 2004: गिद्ध पुनर्प्राप्ति योजना के आधार पर "गिद्ध देखभाल केंद्र" को "जटायु प्रजनन केंद्र (जेसीबीसी)" में परिवर्तित कर दिया गया।

नवंबर 2004: बैंकॉक में IUCN द्वारा आयोजित विश्व संरक्षण कांग्रेस ने जेसीबीसी में शुरू की गई संरक्षण पहलों की सराहना की।

नवंबर 2006: केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा जेसीबीसी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 38 H के तहत गिद्धों के लिए एक बचाव केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

मई 2008: पहली बार कैद में सफलतापूर्वक एक सफेद पीठ वाले गिद्ध के बच्चे द्वारा उड़ान भरी गई।

नवंबर 2009: उत्पादकता बढ़ाने के लिए डबल क्लचिंग और कृत्रिम ऊष्मायन का प्रयोग शुरू किया गया।

फरवरी 2014: पहली बार सफलतापूर्वक गिद्धों का चिक-स्वैपिंग प्रयोग 19 से 21 फरवरी के बीच किया गया, जिसमें पहले क्लच के 11 चूजों को माता-पिता के पास वापस भेजा गया और उनके दूसरे क्लच के अंडे कृत्रिम ऊष्मायन के लिए हटा लिए गए।

अप्रैल 2014: पिंजौर से 15 गिद्धों को मध्य प्रदेश के नए गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, भोपाल में सफलतापूर्वक भेजा गया।

नवंबर 2015: हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री, श्री मनोहर लाल, और माननीय वन मंत्री, श्री राव नरवीर सिंह ने केंद्र का दौरा किया। उन्होंने 'गिद्ध पुनर्वसन' कार्यक्रम की शुरुआत की और 10 गिद्धों को प्री-रिलीज एवियरी में छोड़ा।

जून 2016: हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री, श्री मनोहर लाल और माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्र से दो हिमालयन ग्रिफ़न्स को प्राकृतिक आवास में छोड़ा, जिससे एशिया के पहले 'जिप्स गिद्ध पुनर्वसन कार्यक्रम' की शुरुआत हुई।

जुलाई 2019: गिद्धों को प्राकृतिक आवास में छोड़ने से पहले उन पर लगाने के लिए चार सैटेलाइट ट्रांसमीटर (PTT: प्लेटफॉर्म ट्रांसमीटर टर्मिनल) प्राप्त हुए।

जुलाई 2020: हरियाणा के माननीय वन मंत्री, श्री कंवर पाल ने 15, जुलाई 2020 को जेसीबीसी पिंजौर का दौरा किया, संरक्षण प्रयासों की सराहना की और गिद्ध रिलीज कार्यक्रम पर चर्चा की।

अक्टूबर 2020: हरियाणा के माननीय वन मंत्री, श्री कंवर पाल ने केंद्र से 8 सफेद पीठ वाले गिद्धों को प्राकृतिक आवास में छोड़ा जिनमें से चार को सैटेलाइट टैग और चार को GSM टैग के साथ छोड़ा गया।

फरवरी 2023: माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव ने केंद्र का दौरा किया और कहा कि केंद्र ने गिद्धों के संरक्षण पर उत्कृष्ट काम किया है।

दिसम्बर 2024: 25 सफेद पीठ वाले गिद्धों को प्राकृतिक आवास में छोड़ने की योजना।

आगे और उड़ान बाकी हैं ....

अनुलग्नक-1

गिद्धों के लिए विषाक्तता हेतु NSAIDs के सुरक्षा परीक्षणों के परिणाम

Drug name	Threat / safety	Known effect
Meloxicam	**Safe**	Tested and shown to be safe for vultures (Swarup D. *at al.* 2007)
Tolfenamic acid	**Safe**	Recently tested and results show it is also safe (Chandramohan et al. 2021)
Carprofen	**Toxic at high doses**	Shown to be at toxic levels for cattle tissues around the injection site (Fourie *et al.* 2015)
Flunixin	**Toxic**	Shown to be toxic to *Gyps* vultures in Spain and Italy with dead wild birds showing gout & flunixin in tissues. No full safety trails.
Nimesulide *Recommended for ban in 2024*	**Confirmed Toxic (but still legally available)**	Banned in many countries due to safety issues in humans and banned in India for under 12s. Fast becoming popular in India & Nepal. Confirmed cases of dead wild vultures with gout and nimesulide but no diclofenac (Nambirajan et al. 2021) and safety-trials demonstrate toxicity (Galligan et al. 2022).
Aceclofenac *Banned since 2023*	**Confirmed toxic**	Metabolises into diclofenac in cattle so equivalent effect to diclofenac (Galligan *et al.* 2016, Sharma 2012)
Ketoprofen *Banned India, Bangladesh*	**Confirmed toxic**	Trials carried out on Gyps vultures showed toxicity at concentrations found in treated cattle in India (Naidoo *et al.* 2009). National ban in Bangladesh 2021.
Diclofenac *Banned India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Cambodia, Iran, Oman*	**Confirmed toxic**	Confirmed highly toxic in 2003 (Oaks *et al.* 2004), and banned as veterinary drug since 2006.

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी
हॉर्नबिल हाउस, शहीद भगत सिंह रोड,
लायन गेट के सामने, मुंबई-400001, महाराष्ट्र।
फोन नंबर - 022-22821811
ईमेल: info@bnhs.org

वन एवं वन्यजीव विभाग
मंडलीय वन्यजीव अधिकारी, मोरनी रोड,
टी-पॉइंट, पंचकुला-134109
फोन नंबर - 0172-2996149
ईमेल: dwlopanchkula@gmail.com

जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र (जेसीबीसी), पिंजौर
602, बी-2, गुरुद्वारा रोड, पिंजौर, गांव: गणेशपुर, हरियाणा 134102,
मो. नं.: +91 89554 97966, ईमेल: h.bajpai@bnhs.org